विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 29 कंडिकायें सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 614.76 करोड़ की राशि अंतर्निहित है। शासन/विभागों ने ₹ 153.15 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है जिसमें से ₹ 1.06 लाख की वसूली की जा चुकी है । कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

विगत वर्ष में ₹ 75,749.24 करोड़ के विरूद्ध, वर्ष के दौरान राज्य शासन की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 88,640.78 करोड़ थीं । इस राशि का 53 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा कर राजस्व (₹ 36,567.31 करोड़) तथा कर–भिन्न राजस्व (₹ 10,375.23 करोड़) के रूप में वसूल किया गया। शेष 47 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्यांश (₹ 24,106.80 करोड़) तथा सहायक अनुदान (₹ 17,591.44 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ ।

(कंडिका 1.1.1)

वर्ष 2014–15 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, खनन प्राप्तियॉ, वन प्राप्तियॉ एवं विद्युत शुल्क की 515 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 13,55,453 प्रकरणों में ₹ 1,486.50 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि का पता चला। संबंधित विभागों ने वर्ष 2014–15 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये 2,49,393 प्रकरणों में अंतर्निहित ₹ 411.49 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा 654 प्रकरणों में ₹ 4.85 करोड़ संग्रहीत किये ।

(कंडिका 1.9)

II. वाणिज्यिक कर

''वैट के अतंर्गत कर निर्धारण की प्रणाली'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि: कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी की करयोग्य राशि का कम निर्धारण किया गया जबकि प्रकरण में अंकेक्षित खाते, विक्रय सूची और दूसरे ज्ञात प्रमाणों से कुल कर योग्य राशि अधिक प्रमाणित हुई। परिणामस्वरूप 30, कार्यालयों के 9,063 कर निर्धारण प्रकरणों में से 160 प्रकरणों की नमूना जाँच में पाया गया कि ₹ 499.41 करोड़ की राशि कर निर्धारण हेतु शामिल नही थी जिस पर ₹ 41.84 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 82.08 करोड़ का करारोपण नही हुआ।

(कंडिका 2.2.11)

चौबीस कार्यालयों के 5,044 प्रकरणों में से 51 कर निर्धारण प्रकरणों की नमूना जाँच में पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 143.54 करोड़ की कुल बिक्री पर कम दर से करारोपण किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.8 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 38.57 करोड़ का कम आरोपण/ करारोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.2.12)

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर योग्य राशि का निर्धारण करते समय कुल विक्रय राशि में से कर राशि को घटा दिया गया जबकि कर राशि, कुल विक्रय राशि में शामिल नही थी । परिणामस्वरूप 17 कार्यालयों के 5,469 प्रकरणों की नमूना जाँच में पाया गया कि 27 प्रकरणों में ₹ 32.22 करोड़ की राशि का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.2.13)

व्यवसायी द्वारा कर मुक्त वस्तु बताते हुये कर योग्य वस्तु को बेचा गया। कर निर्धारण अधिकारियों ने भी प्रकरणों की जाँच में इसे कर मुक्त मानते हुये करारोपण नही किया। इसके परिणामस्वरूप सात कार्यालयों के 4,068 प्रकरणों की नमूना जाँच में से नौ प्रकरणों में ₹ 1.26 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 1.82 करोड़ का कम करारोपण हुआ।

(कंडिका 2.2.14)

इकत्तीस कार्यालयों के 13,840 कर निर्धारित प्रकरणों की नमूना जाँच में से 79 प्रकरणों में अंकेक्षित खातों में प्रमाणित क्रय से ज्यादा क्रय पर आगत कर छूट देना, अनुपयुक्त सामान पर आगत कर छूट और राज्य के बाहर स्टॉक के स्थानांतरण पर कम रिवर्सल या रिवर्सल नहीं किया जाने के परिणामस्वरूप ₹ 10.37 करोड़ की गलत/अधिक आगत कर छूट प्रदान की गई।

(कंडिका 2.2.15)

बिना सी/एफ फार्म अथवा त्रुटिपूर्ण सी/एफ फार्म के ₹ 267.72 करोड़ के अंतर्राज्यीय विक्रय का कर निर्धारण कर लिया गया। परिणामस्वरूप, 17 कार्यालयों के 1,629 कर निर्धारण प्रकरणों की नमूना जाँच में से 29 प्रकरणों में ₹ 1.22 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 11.86 करोड़ का कम करारोपण किया गया।

(कंडिका 2.2.17.1)

पाँच कार्यालयों के 99 प्रकरणों की नमूना जाँच मे सात प्रकरणों में पाया गया कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत पारगमन विक्रय पर ₹ 229.21 करोड़ की अनियमित छूट दी परिणामस्वरूप ₹ 9.33 लाख की शास्ति सहित ₹ 9.87 करोड़ का कम करारोपण हुआ।

(कंडिका 2.2.17.3)

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा सोयाबीन और कपास की बिक्री पर कर निर्धारण करते समय, एक माह से अधिक के संव्यवहार के टीडीएस प्रमाणपत्र को स्वीकार किया। परिणामस्वरूप 13 कार्यालयों के 4,226 कर निर्धारण प्रकरणों की नमूना जाँच में 40 प्रकरणो में ₹ 4.45 करोड़ के टीडीएस का अनियमित समायोजन किया गया।

(कंडिका 2.2.18)

III. राज्य उत्पाद शुल्क

बिना शुल्क की वसूली/पर्याप्त बैंक गारंटी और शोधक्षम प्रतिभूतियॉ प्राप्त कर निर्यात/परिवहन पारपत्र जारी करने से ₹ 8.54 करोड़ शुल्क की प्राप्ति न होना।

(कंडिका 3.3)

देशी मदिरा भण्डागारों के नियमों के अंतर्गत निर्धारित देशी मदिरा की भरी बोतलों का न्यूनतम स्कंध न रखे जाने पर विभाग द्वारा ₹ 1.27 करोड़ की शास्ति आरोपित न किया जाना।

(कंडिका 3.4.1)

विभाग द्वारा 67,577.11 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा व 51,413.57 बल्क लीटर बीयर की हानि पर ₹ 81.11 लाख की शास्ति की वसूली नहीं की गई, जो कि अनुमत्य सीमा से 41,470.55 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा के लिए व 30,624.46 बल्क लीटर बीयर के लिए अधिक थी।

(कंडिका 3.4.2)

IV. वाहनों पर कर

मोटरयान जिनके व्हील बेस 3800 मि.मि., 4200 मि.मि. व 5639 मि.मि. को पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा उनके लिए निर्धारित बैठक क्षमता से कम बैठक क्षमता में पंजीकृत करने से राजस्व की हानि ₹ 29.92 लाख।

(कंडिका 4.3)

तीन सौ उनचास आरक्षित लोक सेवायानों, 582 मालयानों, 134 मैक्सी कैब/टैक्सी कैब, 525 अर्थमूव्हर/हार्वेस्टर तथा आठ मंजिली गाडियों पर ₹ 4.56 करोड़ के यानकर व ₹ 2.57 करोड़ की शास्ति को न तो यान स्वामियों द्वारा जमा किया गया और न ही कराधान अधिकारियों द्वारा इसकी मॉग की गई।

(कंडिका 4.4)

अप्रैल 2011 से मार्च 2014 के बीच पंजीकृत 2,17,408 दोपहिया व 57,361 चार पहिया वाहनों पर ₹ 2.06 करोड़ के व्यापार शुल्क, डीलरों से वसूलने में विभाग असफल रहा।

(कंडिका 4.5)

V. भू–राजस्व

''मध्यप्रदेश में भू–राजस्व प्राप्तियाँ'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि :

निजी संस्थाओं को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना, उच्च शिक्षण संस्थान कॉम्पलेक्स तथा पेट्रोल पम्प की स्थापना के लिए राजस्व परिपत्र पुस्तक के प्रावधानों के विरूद्ध कम मूल्य पर शासकीय भूमि का आवंटन किया गया परिणामस्वरूप ₹ 29.80 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 5.2.8)

नजूल भूमि के स्थायी पट्टों के 2010–11 से 2014–15 की अवधि के नवीनीकरण के लम्बित 15,590 पट्टों में से केवल 917 प्रकरणों में स्थाई पट्टों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 1962–63 से 2014–15 के मध्य 14,673 प्रकरणों की समाप्त हुई अवधि के नवीनीकरण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(कंडिका 5.2.9)

बारह कलेक्ट्रेट्स में अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रों की भूमि पर आरोपित प्रब्याजि तथा भू–भाटक पर पंचायत उपकर का आरोपण नहीं किया परिणामस्वरूप शासन को 1,063 प्रकरणों में ₹ 14.33 करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

(कंडिका 5.2.15)

तीन कलेक्ट्रेट्स में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लोक अधिकारी के रूप में अपने दायित्वों के निर्वहन न करते हुए सम्यक रूप से अधूरे स्टाम्पित विलेखों को परिबद्ध न करने से स्टाम्प डयूटी, पंजीयन फीस तथा शास्ति के ₹ 4.84 करोड की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 5.2.16)

चौदह कलेक्ट्रेट्स में भू–राजस्व के विभिन्न मदों में 30 दिन से ज्यादा अवधि के ₹ 264.80 करोड़ की राशि लम्बित थी। बकाया राजस्व की वसूली तथा इस पर 100 प्रतिशत तक आरोपणीय शास्ति के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(कंडिका 5.2.19)

मुख्य खनिज के 252 पट्टों की 18,099.241 हेक्टेयर भूमि पर आरोपणीय भू–राजस्व का निर्धारण न करने से ₹ 31.15 करोड़ के भू–राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 5.2.20)

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान चार आयुक्त कार्यालयों में हमने देखा कि इन्दौर आयुक्त कार्यालय ने अधीनस्थ कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए 120 इकाईयों एवं भोपाल आयुक्त कार्यालय में 47 इकाइयों की लेखापरीक्षा योजना बनाई गई जबकि सागर संभाग आयुक्त कार्यालय में कोई लेखापरीक्षा योजना नहीं बनाई गई। इन्दौर में 60 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई जबकि भोपाल सम्भाग में किसी भी इकाई की लेखापरीक्षा नहीं की गई। उज्जैन सम्भाग एक मात्र सम्भाग था जहाँ लेखापरीक्षा के लिए निर्धारित लक्ष्यों में से 90 प्रतिशत अधीनस्थ इकाइयों की लेखापरीक्षा कर लक्ष्य प्राप्त किया गया। इसके अलावा तहसील कार्यालयों द्वारा राजस्व के मासिक पत्रकों में दिखाये गये आंकड़ों की सत्यता की जाँच के लिए मासिक तौजी नहीं बनाई गई।

(कंडिका 5.2.23)

VI. मुद्रांक एवं पंजीयन फीस

उप पंजीयक द्वारा सम्पत्तियों के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए मुद्रांक संग्राहक (जिला पंजीयक) की ओर संदर्भित किये गये प्रकरणों का निराकरण नहीं किया गया, यद्यपि संदर्भित प्रकरणों के निराकरण की निर्धारित तीन महीने की अवधि समाप्त हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में ₹ 6.33 करोड़ की प्राप्ति नहीं हो सकी।

(कंडिका 6.3)

यद्यपि 27 विलेखों में संबंधित वर्ष की गाईडलाइन के अनुसार सम्पत्ति का बाजार मूल्य अधिक था, उप पंजीयकों द्वारा ये विलेख संपत्तियों के मूल्य की सही गणना हेतु मुद्रांक संग्राहक की ओर संदर्भित नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 51.56 लाख कम आरोपित किया गया।

(कंडिका 6.4)

पंजीयन प्राधिकारियों ने पट्टा विलेखों के 17 दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क ₹ 2.33 करोड़ एवं पंजीयन फीस ₹ 1.65 करोड़ लगाई, जबकि मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस क्रमशः ₹ 2.55 करोड़ एवं ₹ 1.91 करोड़ लगाई जानी चाहिए थी। जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस क्रमशः ₹ 21.89 लाख एवं ₹ 26.10 लाख की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 6.5)

मुख्तारनामा के 17 विलेखों में, दस्तावेजों को बिना प्रतिफल के तथा एक वर्ष से कम समय का मुख्तारनामा विलेख मान लिया गया जबकि उसमें विक्रय, उपहार, विनिमय या अचल सम्पत्ति को स्थायी रूप से संक्रान्त करने हेतु अधिकार, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किये बिना ही दे दिये गये कि विक्रय के अधिकार एक वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये दिये गये है, परिणामतः मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 28.27 लाख का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 6.6)

कालोनाइजर द्वारा विकास कार्य करने के लिए भूखण्ड प्रतिभूति के रूप में रखे जाते है, इन्हें बंधक नहीं रखा गया, जिन पर मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की उस क्षेत्र के लिए प्रचलित दरों के आधार पर अनुमानित विकास व्यय की गणना

₹ 15.10 करोड़ की गई। इसके परिणामस्वरूप अनुमानित विकास व्यय की दर पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 27.18 लाख की प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 6.7)

VII. खनन प्राप्तियाँ

अवधि 2013–14 के लिए 210 खनि पट्टेदारों द्वारा देय ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर राशि ` 6.47 करोड़ के विरूद्ध ` 5.67 लाख का भुगतान किया। परिणामस्वरूप राशि ` 6.41 करोड़ की रॉयल्टी की कम वसूली हुई।

(कंडिका 7.3)

विभाग, राज्य के राजस्व हितों की रक्षा करने में विफल रहा क्योंकि विभागीय निर्देषों के अनुसार संविदा धन की पूरी राशि पर मुद्रांक शुल्क का आरोपण करने के स्थान पर, खनि पट्टों के अनुबंध ` 100 के स्टांप पेपर पर निष्पादित किये गये, जिससे ` 4.01 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली हुई।

(कंडिका 7.4)

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार विभाग द्वारा उत्खनि पट्टों से अनिवार्य किराये की वसूली योग्य राशि ` 1.31 करोड़ के विरूद्ध राशि ` 9.11 लाख वसूल किया गया जबकि खनन पट्टों के प्रकरणों में 53 पट्टेधारक, जिनके पास खनन पट्टे थे, ने जनवरी 2013 से फरवरी 2014 तक की अवधि में लंबित अनिवार्य किराया राशि ` 57.09 लाख का भुगतान नहीं किया, परिणामस्वरूप ` 1.79 करोड़ के अनिवार्य किराये की वसूली नही हुई।

(कंडिका 7.5)

दो पट्टेदारों ने खनिजों के उपभोग/परिवहन हेतु अवधि जनवरी 2012 से दिसम्बर 2013 के मध्य देय रॉयल्टी की राशि ` 6.81 करोड़ के विरूद्ध रॉयल्टी राशि ` 5.83 करोड़ का भुगतान किया जबकि उत्खनि पट्टे पर रॉयल्टी के प्रकरणों में हमने अवलोकित किया कि 34 पट्टेधारकों द्वारा अवधि जनवरी 2009 एवं दिसम्बर 2014 के मध्य निष्कासित किये गये खनिज पर राशि ` 1.74 करोड़ के विरूद्ध ` 1.09 करोड़ रॉयल्टी का भुगतान किया, परिणामस्वरूप ` 1.63 करोड़ के रॉयल्टी की कम वसूली हुई।

(कंडिका 7.6)

विभाग द्वारा 28 प्रकरणों में व्यापारिक खदानों के अनुबंध के लिए वसूली योग्य राशि ` 65.74 लाख के विरूद्ध केवल ` 3.34 लाख वसूली की गयी परिणामस्वरूप संविदा राशि ` 62.40 लाख की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई।

(कंडिका 7.7)

VIII. वन प्राप्तियाँ

"मध्यप्रदेश में वन प्राप्तियाँ" पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि :

ईमारती एवं जलाऊ काष्ठ का उत्पादन नौ वन मण्डलों के 250 कूपों में अनुमान की तुलना में 11 से 95 प्रतिशत तक कम था। आगे, आठ वन मण्डलों के 426 अन्य कूपों में, यद्यपि अनुमान के तुलना में समग्र उत्पादन में विचलन 10 प्रतिशत तक सीमित था, ईमारती काष्ठ, जो अधिक मूल्यवान है, का उत्पादन अनुमान से 11 से 100 प्रतिशत तक कम हुआ। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 69.23 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 8.2.9)

वन विभाग ने वन क्षेत्र में उत्खनित तथा परिवहित खनिज के मात्रा का खनिज विभाग के आंकड़ों से मिलान नही किया। यह परिवहित खनिजों के अभिवहन शुल्क ₹ 12.23 करोड़ की कम वसूली में परिणित हुआ।

(कंडिका 8.2.12)

नौ वर्षो तक विचार करने तथा ₹ 19.95 लाख के व्यय के उपरान्त भी ई–नीलाम का कार्यान्वयन नही किया जाना।

(कंडिका 8.2.16)

न्यायालयीन प्रकरणों में शामिल 33 वर्षो तक पुरानी तथा अन्य प्रकरणों की चार वर्ष तक की वनोपज काष्ठागारों में पड़ी थी, इस प्रकार ₹ 7.18 करोड़ की सम्भावित हानि हुई।

(कंडिका 8.2.18)

कूप से प्रेषित वनोपज काष्ठागार में परिवहन पर कम पायी गई, परिणामतः ₹ 2.07 करोड़ के हानि की हुई।

(कंडिका 8.2.20 तथा 8.2.21)

कार्य आयोजना में प्रावधानित कूपों में वृक्षो के कम/विदोहन नही होने तथा कार्य आयोजना नही बनाये जाने से विदोहन नही होने के परिणामतः राजस्व राशि ₹ 23.87 करोड़ की प्राप्ति नही होना।

(कंडिका 8.2.23)

वनोपज के विक्रय से प्राप्त वैट को विभाग के राजस्व मद में जमा किया (₹ 251.58 करोड़) गया तथा वाणिज्यिक कर विभाग को बजट आवंटन के माध्यम से भुगतान किया गया (₹ 254.07 करोड़), प्राप्ति तथा व्यय की अत्युक्ति में परिणित हुआ।

(कंडिका 8.2.29)

काष्ठ लेखा, परिवहन अनुज्ञा पत्र के मासिक लेखा, पंजीकृत व्यापारियों से त्रैमासिक विवरणी, इत्यादि को तैयार करने/आवश्यक अभिलेख संधारण करने तथा प्रेषणो का नियमित मिलान करने में कमियॉ थीं।

(कंडिका 8.2.19, 8.2.27, 8.2.31 तथा 8.2.32)

निजी उत्पादकों पर अधिरोपित हस्तन व्यय की दर आठ वर्षो से पुनरीक्षित नही हुई।

(कंडिका 8.2.33)